राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर,जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, FAX: 2227602, Toll Free Help Line 15100/9928900900)

Email: rslsajp@gmail.com , rj-slsa@nic.in website: www.rlsa.gov.in

क्रमांकः–एफ–7( )/रालसा/संस्था–पी.एल.ए. अध्यक्ष नियुक्ति/2024/19735 दिनांक 08/11/24

स्थायी लोक अदालत में पूर्णकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति हेतु विस्तृत विज्ञप्ति

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (यथा संसोधित) की धारा 22बी के अंतर्गत स्थापित पूर्णकालिक स्थाई लोक अदालत मुख्यालय दौसा में दिनांक 17.01.2025 को रिक्त होने वाले पूर्णकालिक अध्यक्ष के पद (कुल 01) पर नियुक्ति हेतु पात्र जिला न्यायाधीश संवर्ग के सेवारत्/सेवानिवृत्त अधिकारियों से ऑफलाईन आवेदन पर आमंत्रित किए जाते है।

1. **पूर्णकालिक अध्यक्ष पद हेतु आवेदन करने की पात्रता व योग्यता–**

(क) जिला न्यायाधीश संवर्ग के ऐसे अधिकारी, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

अथवा

(ख) जिला न्यायाधीश संवर्ग के सेवारत अधिकारी, जो दिनांक 31.12.2022 के पश्चात् सेवानिवृत्त हुये है एवं दिनांक 31.01.2025 तक सेवानिवृत होने वाले हैं।

2. **सेवा के निबंधन एवं शर्तें–**

(क) स्थाई लोक अदालत के पूर्णकालिक अध्यक्ष पद पर नियुक्ति प्रावधानो के अनुसार 05 वर्ष तक की अवधि या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक, जो भी पूर्व हो, तक की जायेगी।

(ख) स्थाई लोक अदालत के पूर्णकालिक अध्यक्ष को मानदेय व अन्य सुविधाएं स्थायी लोक अदालत (अध्यक्ष और अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2003 (यथा संशोधित) के अनुरुप देय होंगी।

(ग) नियुक्ति से पूर्व अभ्यर्थी को एक वचन–बंध (Undertaking) देना होगा कि उसका कोई ऐसा वित्तीय या अन्य हित नहीं है और न ही होगा, जिससे उसके अध्यक्ष के रूप में कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो।

(घ) अध्यक्ष अपने पद पर न रहने पर, उस तारीख से जिससे वह ऐसे पद पर नहीं रहता है, ऐसे किसी संगठन में या उसके प्रबंधन या प्रशासन में जो उसकी पदावधि के दौरान अधिनियम के अधीन कार्यवाही का विषय रहा है, कोई नियुक्ति धारण नहीं करेगा या उससे सम्बद्ध नहीं रहेगा।

(ड.) अभ्यर्थी की आयु नियुक्ति के समय 63 वर्ष से अधिक नहीं हो।

(च) पूर्व में जिन आवेदकों ने स्थाई लोक अदालत, मेडता, श्रीगंगानगर एवं बालोतरा के लिए आवेदन किया है उन्हें स्थाई लोक अदालत, दौसा के लिए पृथक से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। इस कार्यालय की विज्ञप्ति संख्या 9695 दिनांक 29.08.2024 के क्रम में प्राप्त आवेदन पत्र एवं इस विज्ञप्ति के उपरांत प्राप्त आवेदन पत्र, सभी को अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत, दौसा, मेडता, श्रीगंगानगर एवं बालोतरा के लिए चयन प्रक्रिया में सम्मिलित किया जायेगा।

3. **चयन की रीति/प्रक्रिया–**

(क) स्थायी लोक अदालत के उक्त पूर्णकालिक अध्यक्ष के पद पर चयन योग्य अभ्यर्थियों के साक्षात्कार द्वारा किया जाएगा।

नोट– आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होने पर पात्र अभ्यर्थियों में से छंटनी (Short Listing) की जा सकेगी व तद्नुसार शेष पात्र अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जाएगा।

(ख) चयन एवं चयन की रीति, प्रक्रिया व मापदंड निर्धारित करने का अंतिम निर्णय माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के विवेवकाधीन होगा।

(ग) साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का टी.ए./डी.ए. देय नहीं होगा।

4. **आवेदन करने की प्रक्रिया व समय सीमा–**

(क) पात्रता रखने वाले सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी को अपना आवेदन पत्र, विज्ञप्ति के संलग्न निर्धारित प्रारूप में भरकर, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के कार्यालय में व्यक्तिशः या डाक द्वारा प्रेषित/प्रस्तुत करना होगा।

(ख) सेवारत न्यायिक अधिकारी को अपना आवेदन पत्र माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के माध्यम से प्रेषित करना होगा। सीधे इस कार्यालय को प्रेषित आवेदन पत्र को विचार में नहीं लिया जाएगा। अतः इच्छुक न्यायिक अधिकारी अपना आवेदन पत्र, अंतिम तिथि को ध्यान में रखते हुए यथोचित समय पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय को प्रेषित करना सुनिश्चित कर लें।

(ग) आवेदन पत्र का प्रारूप राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर की वेबसाईट **www.rlsa.gov.in** से डाउनलोड किया जा सकता है।

(घ) आवेदन पत्र के साथ वांछित समस्त दस्तावेजात की स्वःप्रमाणित प्रतिलिपि सम्मिलित करनी होगी।

(ड़) आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की **अंतिम दिनांक 22.11.2024** समय सांय 5 बजे तक है। अंतिम तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों अथवा अपूर्ण आवेदन पत्रों को विचार में नहीं लिया जाएगा।

(च) E-mail अथवा फैक्स आदि से प्रेषित किसी भी आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।

5. नियुक्ति से संबंधित शर्तें व नियम राज्य प्राधिकरण के निर्णयाधीन रहेंगी।
6. आवेदको को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पूर्व विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 व स्थायी लोक अदालत (अध्यक्ष और अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2003 का अध्ययन कर लें।
7. उपरोक्त रिक्त पदों की संख्या में किसी भी समय नियमानुसार कमी या वृद्धि की जा सकती है, जिसके लिए पुनः विज्ञप्ति/शुद्धि पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

आज्ञा से,

सदस्य सचिव

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,

जयपुर।

E:\Establishment Section\Permanent Lok Adalat\PLA Chairman Recruitment 2024\PLA Chairman Advertisement dausa.docx

क्रमांकः–एफ–7( )/रालसा/संस्था–पी.एल.ए. अध्यक्ष नियुक्ति/2024/19736-796 दिनांक 08/11/24

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, रालसा, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जयपुर/जोधपुर।
3. निजी सचिव, माननीय जज इंचार्ज महोदय, मीडिएशन, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर।
4. सदस्य सचिव, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली।
5. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त राजस्थान को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि विज्ञप्ति को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं समस्त तालुका विधिक सेवा समितियों के सूचना पट्ट पर चस्पा करावें।
8. जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि विज्ञप्ति को जिला कलेक्ट्रेट एवं समस्त उपखण्ड कार्यालयों के सूचना पट्ट पर चस्पा करावें।
9. निदेशक/विशेष सचिव/उप सचिव–प्रथम/उप सचिव–द्वितीय, रालसा, जयपुर।
10. संयुक्त सचिव, रालसा, जयपुर/जोधपुर।
11. सचिव, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जयपुर/जोधपुर।
12. वरिष्ठ उप सचिव/ उप सचिव, रालसा, जयपुर।
13. लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी–प्रथम/द्वितीय, रालसा, जयपुर।
14. नोडल अधिकारी, विभागीय वेबसाइट को निर्देशित किया जाता है कि विज्ञप्ति का विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
15. संबंधित पत्रावली।
16. आदेश/रक्षित पत्रावली।

(हस्ताक्षर)

निदेशक
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर।